



मौदग

बनाम मोरी

पालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
द/पार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

42/2025

देनांक आज्ञा  
ग कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

तद. बस्सी जिला जयपुर के संबंध  
में अभ्यपक्षी की मूल चाद मौदग  
बनाम मोरी चाद संख्या 46/2025  
के विस्तारण तक अन्धायी निषेधज्ञा  
से पाबंद किया जाता है कि अभ्यपक्षी  
उक्त विवादित आराजी पर मौके व  
ठिकाने कि यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर  
बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
बस्सी जिला-जयपुर

27/5/25